

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-वि०उ०-01-06/2006-1560/150000 /पटना, दिनांक-24 अगस्त, 2026
प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.शे.
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-अध्यक्ष,
सभी क्षेत्रीय विकास परिषद्।
ईख पदाधिकारी-सह-सचिव,
सभी क्षेत्रीय विकास परिषद्।

विषय:- क्षेत्रीय विकास परिषद् के कार्ययोजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शिका संशोधन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-507/ई०का० दिनांक-04.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में कहना है कि क्षेत्रीय विकास परिषद् का गठन बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन), अधिनियम-1981 की धारा-7 के अन्तर्गत किया गया है। इसके कर्तव्यों का विवरण अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत किया गया है।

उक्त के आलोक में क्षेत्रीय विकास परिषद् के कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शिका इस पत्र के साथ संशोधित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

पूर्व में निर्गत सभी मार्गदर्शिका इस हद तक संशोधित समझा जाए।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-वि०उ०-01-06/2006-1560/150000 /पटना, दिनांक-24 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि-दखलकार/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य एवं राज्य से गन्ना क्रय करनेवाली उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-वि०उ०-01-06/2006-1560/150000 /पटना, दिनांक-24 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

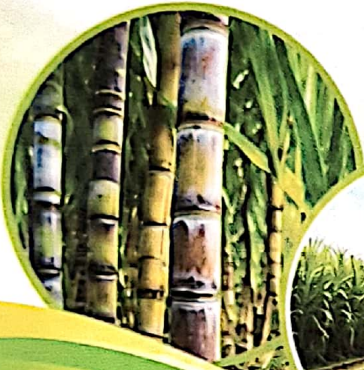
ज्ञापांक-वि०उ०-01-06/2006-1560/150000 /पटना, दिनांक-24 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि-आई. टी. मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।



क्षेत्रीय विकास परिषद के कार्ययोजना तैयार करने संबंधी मार्गदर्शिका

वर्ष : 2026-27



गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना



क्षेत्रीय विकास परिषद की कार्य योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शिका

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-7 के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

1. इस अधिनियम की धारा-8 में परिषद के उल्लेखित दायित्व निम्नवत् है :-

- (i) ईख से संबद्ध संचार, सिंचाई, मृदा-विश्लेषण तथा अन्य कृषि सुविधाओं के विकास के लिये विचार करके कार्यक्रम तैयार करना।
- (ii) ईख विकास योजना की सभी तात्त्विक बातों के कार्यान्वयन के उपाय एवं साधन ढूँढ निकालना, जिनके अंतर्गत संचार एवं ईख की किस्मों का सुधार और विकास, उन्नत बीजों, उर्वरकों और खादों की आपूर्ति, पौधा-संरक्षण एवं रोग और विनाशकारी कीटों का रोकथाम तथा नियंत्रण करना।
- (iii) ईख के कृषि विस्तार कार्य में सभी संभव सहायता देना,
- (iv) ईख की खेती के उन्नत तरीकों में कृषकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना।
- (v) आरक्षित क्षेत्र के सामान्य विकास से संबंधित या उसके साधक अन्य ऐसे कृत्यों का पालन करना जो विहित किये जाय।

2. बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली 1978 की नियम-9 (4) में निम्न प्रावधान है :-

- (i) प्रत्येक परिषद एक बजट तैयार करेगी और वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के कम-से-कम दो महीना पूर्व ईखायुक्त के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। ईखायुक्त बजट को अपनी आलोचना के साथ, यदि कोई हो, अनुमोदित करेगा।
- (ii) कोई भी व्यय नहीं किया जायेगा जब तक अनुमोदित बजट में उसे सम्मिलित नहीं किया गया हो, परंतु किसी अनुमोदित लागत में व्यय ईखायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से बढ़ाया जा सकेगा।
- (iii) ईखायुक्त वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा उल्लिखित किसी लागत में परिषद की निधियों में से व्यय के लिए आदेश देगा। यदि उसके अनुसार ऐसा व्यय किसी विशेष परिस्थिति या परिषद द्वारा कुछ प्रभाव के कारण आवश्यक हो जाय।
- (iv) ईखायुक्त द्वारा परिषद के किसी प्रस्ताव या निर्णय को कारण देते हुए अनुमोदित कर सकेगा।

3. क्षेत्रीय विकास परिषदों के कार्य योजना को तैयार करने के लिए समय-समय पर ईखायुक्त द्वारा दिशा-निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 एवं 2025 में कतिपय क्षेत्रीय विकास परिषद को अधिसूचित किया गया है। क्षेत्रीय विकास परिषद के द्वारा सम्यक तरीके से कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता के दृष्टिगत अधिनियम/परिनियम प्रावधानों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय विकास परिषद द्वारा कार्य योजना/वार्षिक बजट तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शिका निम्न प्रकार से विहित किया जाता है : -

- (i) क्षेत्रीय विकास परिषद उपलब्ध निधि में से 60 प्रतिशत राशि का व्यय गन्ना विकास कार्यों के लिए तथा 30 प्रतिशत राशि आधारभूत संरचना के लिए एवं अधिकतम 10 प्रतिशत राशि स्थापना मद में व्यय किया जाएगा।

3.1. ईख विकास मद से संबंधित कार्य :-

- (i) गन्ना कृषि के विकास, उत्पादन, उत्पादकता, एवं रकवा में वृद्धि हेतु आवश्यक अवयवों को कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है।
- (ii) सिंचाई जल के उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) कार्य मद को कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है। साथ ही निजी नलकूप योजना को स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है।
- (iii) सोलर इनर्जी/सोलर पम्पसेट (सिंचाई के लिए उपयोग) को भी क्षेत्रीय विकास परिषद के कार्य घटक के रूप में शामिल किया जा सकता है।
- (iv) जल संरक्षण/वृक्षारोपन का मद शामिल किया जा सकता है। विवरण के लिए कर्णाकित योजना में से लाभुक संबंधित मद में उस जिला में अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या के अनुसार कार्ययोजना शामिल किया जाय। इस हेतु विशेष कार्य मद/अतिरिक्त अनुदान पर परिषद द्वारा विचार किया जा सकता है।
- (v) गन्ना के नए प्रभेदों के राज्य में खेती करने हेतु उपयुक्तता का स्थानीय परीक्षण करने से संबंधित योजनाओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत गन्ना शोध संस्थाओं द्वारा विभिन्न चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना के नए प्रभेदों के स्थानीय अनुकूलता के परीक्षण हेतु आवश्यक राशि का प्रावधान किया जा सकता है।
- (vi) गन्ना फसल की जंगली पशुओं (घोड़परास, जंगली सूअर आदि) से सुरक्षा से संबंधित अवयव को भी कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है।
- (vii) किसान प्रशिक्षण भ्रमण कार्यक्रम अंतर जिला एवं अंतर राज्य को भी विकास कार्य मद में शामिल किया जा सकता है।

ईख विकास मद (बजट का 60%)

i	बीज हेतु नर्सरी की स्थापना			
ii	बीज वितरण हेतु अनुदान			
iii	बीज उत्पादन पर अनुदान			
iv	सिंगल बड/बड चिप पद्धति से तकनीकी प्रत्यक्षण			
v	अन्तरवर्ती फसल			
vi	फसल सुरक्षा - रासायनिक कीटनाशक/जैव नियंत्रण विधि			
vii	रैटून मैनेजमेंट			
viii	गन्ना का बंधाई (केन प्रोपिंग)			
ix	नए गन्ना प्रभेदों का स्थानीय परीक्षण			
x	मृदा स्वास्थ्य परीक्षण			
xi	जैविक/ हरित उर्वरक			

xi	जैविक/ हरित उर्वरक			
xii	सिंचाई हेतु नलकूप			
xiii	सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रोकलर)			
xiv	सोलर पम्पिंग सेट			
xv	नये यंत्रों का प्रयोग			
xvi	प्रचार-प्रसार			
xvii	किसान प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम- अंतर-जिला एवं अंतर-राज्य			
xviii	जंगली पशुओं से गन्ना फसल की सुरक्षा (घोड़परास, जंगली सूअर, आदि)			
xix	वृक्षारोपण			
xx	अन्य कार्य मद/इनोवेटिव कम्पोनेंट (Innovative Component)			

3.2. आधारभूत संरचना मद से संबंधित कार्य :-

- क्षेत्रीय विकास परिषद् के माध्यम से मिल यार्ड एवं पथ क्रय केन्द्रों पर कृषकों के उपयोग हेतु प्रसाधन, पेयजल, विश्रमालय एवं सोलर लाईट का निर्माण एवं मिल यार्ड की मरम्मत कार्य को योजना में शामिल किया जा सकता है।
- गन्ना खेती वाले क्षेत्रों में जल-जमाव के निराकरण से संबंधित कार्य (छोटे नाला आदि सफाई तथा निर्माण) कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है।
- क्षेत्रीय विकास परिषद् के माध्यम से गन्ना खेती वाले क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या के निराकरण हेतु यथास्थान जल निकासी प्रणाली (In-situ water drainage system) के निर्माण को भी कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है।
- क्षेत्रीय विकास परिषद् के माध्यम से सड़क/पथ, पुल-पुलिया, एवं वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण/मरम्मत संबंधित कार्य को भी कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है।

आधारभूत संरचना मद (बजट का 30%)

i	सड़क/पथ निर्माण एवं मरम्मत			
ii	पुल-पुलिया			
iii	जल जमाव के निराकरण से संबंधित कार्य। (छोटे नाला आदि का सफाई तथा निर्माण)			
iv	जल जमाव की समस्या के निराकरण हेतु यथास्थान जल निकासी प्रणाली (In-situ water drainage system) का निर्माण			
v	मिल यार्ड की मरम्मत।			
vi	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण			
vii	मिल यार्ड एवं पथ क्रय केन्द्रों पर कृषकों के उपयोग हेतु प्रसाधन, पेयजल आउटलेट एवं विश्रमालय का निर्माण, सोलर लाईट			

3.3. स्थापना मद से संबंधित कार्य (बजट का 10%) :-

- (i) इस मद में प्रावधानित राशि का उपयोग क्षेत्रीय विकास परिषद् अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का वेतन/मानदेय का भुगतान तथा कार्यालय व्यय आदि हेतु किया जा सकता है।
- (ii) क्षेत्रीय विकास परिषद् के लिए आई.टी. का प्रयोग/वेबसाइट का निर्माण कार्य इस मद में शामिल किया जा सकता है।

नोट- इसके अतिरिक्त अन्य कार्य मद जो आवश्यक महसूस हो, उसे भी क्षेत्रीय विकास परिषद् अपनी कार्य योजना में शामिल कर सकता है।

4. सामान्य अनुदेश :-

- (i) क्षेत्रीय विकास परिषद् की कार्ययोजना को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा पूर्व से क्रियान्वित किसी योजना के अंतर्गत उसी घटक/लाभुक को उसी कार्य मद के लिए दोहरा लाभ (डुप्लीकेशन) प्राप्त न हो। इस प्रकार, एक ही व्यक्ति को एक ही कार्य मद के अंतर्गत एक से अधिक योजनाओं का लाभ प्राप्त न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
- (ii) क्षेत्रीय विकास परिषद् के द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजना में लागू अनुदान दर को यथावत अथवा भिन्न अनुदान दर पर विचार किया जा सकता है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन हो सके।
- (iii) क्षेत्रीय विकास परिषद् की योजना में कार्य घटक को स्पष्ट रूप से चिन्हित करते हुए इसकी इकाई लागत, अनुदान दर तथा कुल व्यय को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।
- (iv) कार्य योजना को तैयार करने में स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र एवं जिला कृषि पदाधिकारी का सहयोग और परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।
- (v) कार्य योजना को तैयार करने में विशेषज्ञ की सहायता भी ली जा सकती है तथा इन्हें देय मानदेय को भी कार्य योजना में शामिल किया जा सकता है।
- (vi) प्रत्येक क्षेत्रीय विकास परिषद् की बैठक ईख नियमावली के नियम 9(1) के अन्तर्गत मुख्यालय में महीने में कम से कम एक बार किया जायेगा। इस बैठक के मुख्य कार्य निम्न होंगे-
 - (क) क्षेत्रीय विकास परिषद् द्वारा संचालित स्वीकृत कार्य योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करना तथा बैठक की कार्यवाही विभाग को प्रतिवेदित करना।
 - (ख) गन्ना विकास से संबंधित अन्य योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करना।
 - (ग) क्षेत्रीय विकास परिषद् की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा कर प्रगति की स्थिति से विभाग को प्रतिवेदित करना।

(घ) क्षेत्रीय विकास परिषद की व्यय एवं आयकर तथा वैधानिक अंकेक्षण संबंधित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई एवं समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना।

(ङ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में परिषद के वार्षिक बजट एवं कार्ययोजना तैयार कर परिषद से स्वीकृति प्राप्त कर ईखायुक्त से अनुमोदन प्राप्त करना।

(vii) क्षेत्रीय विकास परिषद् योजना अन्तर्गत यंत्रों एवं सामग्रियों, आदि का अनुमानित मूल्य तथा योजना के तहत लिये जाने वाले मदवार इकाई लागत एवं अनुदान की अधिसीमा का निर्धारण हेतु ईकाई लागत समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

- | | |
|--|--------------|
| 1. अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी
(समाहर्ता द्वारा नामित) | — अध्यक्ष |
| 2. ईख पदाधिकारी | — सदस्य सचिव |
| 3. सहायक निदेशक ईख विकास | — सदस्य |
| 4. जिला अभियंता (समाहर्ता द्वारा नामित) | — सदस्य |
| 5. कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK) के वैज्ञानिक | — सदस्य |
| 6. चीनी मिल के महाप्रबंधक/प्रतिनिधि | — सदस्य |

उपरोक्त समिति के अनुशंसा के दृष्टिगत क्षेत्रीय विकास परिषद का कार्ययोजना तैयार किया जाय।

(viii) क्षेत्रीय विकास से संबंधित ईख मिल क्षेत्र में विद्यमान कठिनाइयों, जैसे गन्ना उत्पादन बढ़ाने में आ रही सामान्य समस्याओं को चिन्हित कर ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जा सकता है।

5. योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण :-

(i) जनसेवक (VLW) एवं ईख प्रसार पदाधिकारी (CEO) का दायित्व

योजना के क्रियान्वयन में कृषकों का सत्यापन जनसेवक (VLW) एवं ईख प्रसार पदाधिकारी (CEO) द्वारा किया जाएगा साथ ही कृषकों द्वारा क्रय किये गए यंत्रों, सामग्रियों आदि का भौतिक सत्यापन भी इनके द्वारा किया जाएगा।

(ii) चीनी मिल का दायित्व

संबंधित चीनी मिल, ईख पदाधिकारी/सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय से समन्वय स्थापित कर योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं गन्ना किसानों का आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यंत्र, सामग्रियों आदि का भौतिक सत्यापन कार्य में भी सहयोग करेंगे।

(iii) ईख पदाधिकारी/सहायक निदेशक, ईख विकास का दायित्व

ईख पदाधिकारी सह-सचिव, क्षेत्रीय विकास परिषद के द्वारा सदस्यों एवं चीनी मिलों से समन्वय स्थापित कर योजनाओं एवं बजट का प्रारूप तैयार करेंगे। ससमय क्षेत्रीय स्तर पर बैठक आयोजित कर समाहर्ता-सह-अध्यक्ष से योजना का अनुमोदन लेने के पश्चात् ईखायुक्त को प्रेषित करेंगे। बजट पर ईखायुक्त के अनुमोदनोपरान्त ईख पदाधिकारी योजना को ससमय कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे। सहायक निदेशक, ईख विकास योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन में ईख पदाधिकारी को सहयोग करेंगे।

(iv) अनुश्रवण एवं समीक्षा :-

जिला पदाधिकारी :-

जिला स्तर पर योजना का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष क्षेत्रीय विकास परिषद् द्वारा किया जायेगा।

ईखायुक्त :-

राज्य स्तर पर ईखायुक्त द्वारा समय-समय पर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।


ईखायुक्त, बिहार।